रजिस्ट्री सं. डी---(डीएन)---128/91

REGISTERED NO. D---(DN)---128/91

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 14, 1991 (अग्रहायण 23, 1913)

No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 14, 1991 (AGRAHAYANA 23, 1913)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I---खण्ड 1---(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	881
भाग I---खण्ड 2---(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	1521
भाग I---खण्ड 3---रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	11
भाग I---खण्ड 4---रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	1937
भाग II---खण्ड 1---अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II---खण्ड 1-क---अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II---खण्ड 2---विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II---खण्ड 3---उप-खण्ड (i)---भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) . . .	*
भाग II---खण्ड 3---उप-खण्ड (ii)---भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . .	*
भाग II---खण्ड-3---उप-खण्ड (iii)---भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II---खण्ड 4---रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश . .	*
भाग III---खण्ड 1---उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . .	1153
भाग III---खण्ड 2---पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . .	1349
भाग III---खण्ड 3---मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III---खण्ड 4---विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	3829
भाग IV---गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस . . .	188
भाग V---अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक . .	*

*कोई प्राप्त नहीं।

1---361GI/91

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	881
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1521
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	11
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1937
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1153
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . .	1349
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3829
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	165
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत् नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर 1991

संकल्प

सं० 24-2-89/फसल प्रशासन-2—भारत सरकार ने दिनांक 23 जनवरी, 1991 के संकल्प संख्या 24-2-89 फसल प्रशासन-2 के द्वारा गठित भारतीय कपास विकास परिषद का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। पुनर्गठित परिषद में निम्नलिखित शामिल होंगे —

1. अध्यक्ष — भारत सरकार द्वारा नामजद किया जाने वाला एक गैर-सरकारी व्यक्ति।

2. उपाध्यक्ष — कृषि आयुक्त, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।

3. सदस्य

क संसद सदस्य — संसद के तीन सदस्य (दो लोक सभा से तथा एक राज्य सभा से), जो संसदीय कार्य विभाग द्वारा नामजद किए जाएंगे।

ख. राज्य सरकारों के प्रतिनिधि — निम्नलिखित राज्य सरकारों के कृषि विभाग का एक-एक प्रतिनिधि, जो सम्बंधित राज्य सरकारों द्वारा नामजद किए जाएंगे —

1. आंध्र प्रदेश
2. गुजरात
3. हरियाणा
4. कर्नाटक
5. मध्य प्रदेश
6. महाराष्ट्र
7. पंजाब
8. राजस्थान
9. तमिलनाडु

ग. केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि

क. योजना आयोग नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

ख. संयुक्त सचिव (विस्तार), कृषि और सहकारिता विभाग अथवा उनके द्वारा नामजद व्यक्ति

ग. वस्त्र आयुक्त, वस्त्र विभाग

घ. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली या उनके द्वारा नामजद व्यक्ति

क कृषि और सहकारिता विभाग में कपास से सम्बंधित संयुक्त आयुक्त।

ख. नागरिक आपूर्ति विभाग का एक प्रतिनिधि

घ. उत्पादकों के प्रतिनिधि — मुख्य कपास उत्पादक राज्यों से सम्बंधित राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित रूप से नामजद किए जाने वाले 9 उत्पादक प्रतिनिधि —

	(प्रतिनिधियों की संख्या)
1. आंध्र प्रदेश	एक
2. गुजरात	एक
3. हरियाणा	एक
4. कर्नाटक	एक
5. मध्य प्रदेश	एक
6. महाराष्ट्र	एक
7. पंजाब	एक
8. राजस्थान	एक
9. तमिलनाडु	एक

ङ व्यापार के प्रतिनिधि — भारतीय कपास संघ मर्यादित के तीन प्रतिनिधि

च उद्योग के प्रतिनिधि — भारतीय कपास मिल संघ के तीन प्रतिनिधि

छ. ऐसे अतिरिक्त व्यक्ति, जो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नामजद किए जाएंगे।

5. प्रेक्षक (जो परिषद के सदस्य नहीं होंगे, बल्कि परिषद विचार-विमर्श में सहायता करने के लिए आमंत्रित किए जाएंगे)।

1. अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम अथवा उनका प्रतिनिधि,

2. कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।

3. वित्तीय सलाहकार, कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग)।

4. अर्थ एवं सांख्यिकीय सलाहकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली, अथवा उनका प्रतिनिधि।

5. वनस्पति रक्षण सलाहकार, भारत सरकार, कृषि और सहकारिता विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि।

6 अध्यक्ष, भारतीय कपास निगम अथवा उनका प्रतिनिधि।

7 राष्ट्रीय बीज निगम का एक प्रतिनिधि।

8. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली।

2 परिषद एक सलाहकार निकाय होगी और इसके निम्नलिखित कार्य होंगे :—

1 कपास के सम्बंध में केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों पर विचार करना, समय-समय पर उनकी प्रगति की समीक्षा करना और कपास के उत्पादन को बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करना।

2. कपास के उत्पादन तथा विपणन एवं कपास उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करना और इन मामलों के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देना।

3 देशी तथा मिलमिल मांगों में कपास की मांग पर विचार करना तथा उचित विकास कार्यक्रमों के जरिए उपर्युक्त मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देना।

4. कपास के उत्पादन के सम्बन्ध में छोटे तथा सीमान्त किसानों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना और उन्हें पूरा करने के लिए उचित उपाय करने हेतु सुझाव देना।

5 कपास से सम्बन्धित अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम के बीच समन्वय करना और कपास की गुणवत्ता तथा उत्पादकता में सुधार लाने की आवश्यकताओं के बारे में सलाह देना, और

6. आवश्यक समझे जाने वाले अन्य सम्बन्धित मामलों पर समय-समय पर सरकार को सलाह देना।

3 परिषद को विशेष मामलों पर विचार करने के लिए स्थायी समिति, तकनीकी समिति और सदर्थ समिति स्थापित करने तथा विशेष प्रयोजनों के लिए आवश्यकतानुसार कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य विशेष हितों के प्रतिनिधियों जैसे सदस्यों को सहयोजित करने का अधिकार होगा।

4. परिषद की बैठक समय-समय पर कपास उत्पादक क्षेत्रों तथा व्यापार एवं उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रों में होगी और भारत सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

5. परिषद तब तक काम करती रहेगी जब तक सरकार के संकल्प द्वारा इसे समाप्त न किया जाता। परिषद के अध्यक्ष तथा अन्य गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल परिषद में उनके शामिल होने की तिथि से तीन वर्ष होगा, बशर्ते भारत सरकार के विशेष आदेश द्वारा इस अवधि को घटाया या बढ़ाया न जाएगा।

6. संसद के सदस्यों में से नामित होने वाले परिषद के सदस्य संसद न रहने पर परिषद के सदस्य नहीं रहेंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रि-

मंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

माल्ता मौल्ला नायर,
संयुक्त सचिव.

विद्युत एवं अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्तूबर 1991

संकल्प

संख्या 6/8/90-ट्रांस—विद्युत विभाग के संकल्प संख्या 6/4/82-ट्रांस, दिनांक 17 जून 1982 तथा समय-समय पर जारी किए गए संशोधन में उत्तरी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड का निम्नानुसार पुनर्गठन कर दिया जाए:—

(1) आयुक्त, विद्युत विकास विभाग तथा पदेन सचिव जम्मू व कश्मीर सरकार।

(2) अध्यक्ष, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड।

(3) अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड।

(4) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड।

(5) अध्यक्ष, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड।

(6) अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड।

(7) अध्यक्ष, भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड।

(8) महा प्रबन्धक (ई) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान।

(9) मुख्य इंजीनियर एवं विद्युत कार्य प्रभारी, संघ शासित क्षेत्र, चण्डीगढ़।

(10) कार्यपालक निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम।

(11) कार्यपालक निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि०।

(12) निदेशक (तकनीकी) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड।

(13) कार्यपालक निदेशक (प्रचालन), न्यूक्लीय विद्युत निगम, परमाणु ऊर्जा विभाग, अथवा मुख्य अधीक्षक, राजस्थान, परमाणु ऊर्जा केन्द्र, एक विकल्प के रूप में नामित।

(14) प्रतिनिधि, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण।

(15) सदस्य-सचिव, उत्तरी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड।

उपरोक्त पैरा-2 के (1) से (7) के सदस्य बारी-बारी से एक-एक वर्ष की अवधि के लिए उत्तरी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प जम्मू व कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों एवं राज्य बिजली बोर्ड, भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, संघ शासित क्षेत्र, चण्डीगढ़, राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, न्यूक्लीय विद्युत निगम, राजस्थान परमाणु ऊर्जा केन्द्र, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, उत्तरी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड, भारत सरकार के सभी मंत्रालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया जाए।

संकल्प

सं० 6/8/90-ट्रांस—विद्युत विभाग के संकल्प संख्या 6/8/82-ट्रांस, दिनांक 16-8-82 तथा समय-समय पर जारी किए गये सम्शोधन में दक्षिण क्षेत्र बिजली बोर्ड का निम्नानुसार पुनर्गठन कर दिया जाए:—

(1) अध्यक्ष, आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड।

(2) अध्यक्ष, केरल राज्य बिजली बोर्ड।

(3) अध्यक्ष, तमिलनाडु बिजली बोर्ड।

(4) अध्यक्ष, कर्नाटक बिजली बोर्ड।

(5) मुख्य सचिव, पांडिचेरी सरकार।

(6) कार्यपालक निदेशक (दक्षिणी क्षेत्र), राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम।

(7) कार्यपालक निदेशक (प्रचालन) न्यूक्लीय विद्युत निगम लि०, परमाणु ऊर्जा विभाग अथवा मुख्य अधीक्षक, मद्रास परमाणु ऊर्जा केन्द्र एक विकल्प के रूप में नामित।

(8) प्रबन्ध निदेशक, नेवेली लिग्नाइट निगम।

(9) कार्यपालक निदेशक (दक्षिणी क्षेत्र), राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड।

(10) प्रबन्ध निदेशक, मैसूर विद्युत निगम।

(11) प्रतिनिधि, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण।

(12) सदस्य सचिव, दक्षिणी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड।

उपरोक्त (1) से (4) तक के सदस्य बारी-बारी से एक-एक वर्ष के लिए क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के सदस्य होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपयुक्त संकल्प आन्ध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकारों एवं राज्य बिजली बोर्डों, संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी, परमाणु ऊर्जा विभाग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, दक्षिण क्षेत्रीय बिजली बोर्ड, राष्ट्रीय विद्युत परिषण निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, न्यूक्लीय विद्युत निगम, मद्रास परमाणु ऊर्जा, नेवेली लिग्नाइट निगम, मैसूर विद्युत निगम, भारत सरकार के सभी मंत्रालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया जाए।

संकल्प

सं०-6/8/90-ट्रांस०—विद्युत विभाग के संकल्प संख्या 6/4/82-ट्रांस० दिनांक 2 सितम्बर, 1982 तथा समय-समय पर जारी किए गये संशोधन में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड का निम्नानुसार पुनर्गठन कर दिया जाए :—

(1) विद्युत सम्बन्धी कार्य प्रभारी मंत्री, असम अथवा उनकी ओर से प्रतिनिधि।

(2) विद्युत सम्बन्धी कार्य प्रभारी मंत्री, मणिपुर अथवा उनकी ओर से प्रतिनिधि।

(3) विद्युत सम्बन्धी कार्य प्रभारी मंत्री, अरुणाचल प्रदेश अथवा उनकी ओर से प्रतिनिधि।

(4) विद्युत सम्बन्धी कार्य प्रभारी मंत्री, त्रिपुरा अथवा उनकी ओर से प्रतिनिधि।

(5) बिजली सम्बन्धी कार्य प्रभारी मंत्री, मेघालय अथवा उनकी ओर से प्रतिनिधि।

(6) विद्युत सम्बन्धी कार्य प्रभारी मंत्री, मिजोरम अथवा उनकी ओर से प्रतिनिधि।

(7) मुख्य सचिव, नागालैण्ड सरकार अथवा उनकी ओर से प्रतिनिधि।

(8) अध्यक्ष, असम राज्य बिजली बोर्ड।

(9) अध्यक्ष, मेघालय राज्य बिजली बोर्ड।

(10) कार्यपालक निदेशक (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र) राष्ट्रीय विद्युत परिषण निगम।

(11) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड।

(12) निदेशक (तकनीकी), राष्ट्रीय जल विद्युत निगम।

(13) प्रतिनिधि, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण।

(14) सदस्य सचिव, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड।

ऐसे मंत्रीगण जो कि बोर्ड के सदस्य हैं, राज्यों के नाम के वर्ण क्रमानुसार बारी-बारी से एक-एक वर्ष के लिए प्रत्येक मंत्री बोर्ड का अध्यक्ष होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त संकल्प असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैण्ड और मिजोरम की राज्य सरकारों, असम और मेघालय के राज्य बिजली बोर्ड, नीपको, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, राष्ट्रीय विद्युत परिषण निगम, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, उत्तर, पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड, भारत सरकार के सभी मंत्रालय प्रधान मंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया जाए।

संकल्प

सं०-6/8/90ट्रांस०—विद्युत विभाग के संकल्प संख्या 6/4/82-ट्रांस, दिनांक 2 सितम्बर, 1982 तथा समय-समय पर जारी किए गए संशोधन में पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड का निम्नानुसार पुनर्गठन कर दिया जाए :—

(1) अध्यक्ष, बिहार राज्य बिजली बोर्ड।

(2) अध्यक्ष, दामोदर घाटी निगम।

(3) अध्यक्ष, उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड।

(4) अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड।

5, 6 एवं 7. पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा सरकारों में प्रत्येक सरकार द्वारा समय-समय पर यदि नामित किया जाता है तो उनका प्रतिनिधि।

8. प्रबन्ध निदेशक, दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड।

9. अपर मुख्य इंजीनियर, विद्युत विभाग, सिक्किम सरकार।

10. कार्यपालक निदेशक (पूर्वी क्षेत्र) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड।

11. निदेशक (तकनीकी) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड।

12. कार्यपालक निदेशक (पूर्वी क्षेत्र) राष्ट्रीय विद्युत परिषण निगम।

13. प्रतिनिधि, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण।

14. सदस्य सचिव, पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड।

उपरोक्त (1) से (4) तक के सदस्य बारी-बारी से एक-एक वर्ष के लिए क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के सदस्य होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की राज्य सरकारों एवं राज्य बिजली बोर्डों, दामोदर घाटी निगम, दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड, भारत सरकार के सभी मंत्रालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया जाए।

संकल्प

सं०6/8/90 ट्रांस—विद्युत विभाग के संकल्प संख्या 6/4/82-ट्रांस, दिनांक 2 सितम्बर, 1982 तथा समय-समय पर जारी किए गए संशोधन में पश्चिमी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड का निम्नानुसार पुनर्गठन कर दिया जाए:—

(1) अध्यक्ष, गुजरात बिजली बोर्ड।

(2) अध्यक्ष, मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड।

(3) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड।

(4) सचिव, उद्योग, खान एवं विद्युत विकास, गुजरात सरकार।

(5) सचिव, सिंचाई एवं बिजली विभाग, मध्य प्रदेश सरकार।

(6) सचिव, उद्योग एवं श्रम विभाग, महाराष्ट्र सरकार।

(7) मुख्य अभियन्ता, सिंचाई एवं विद्युत विभाग, महाराष्ट्र सरकार।

(8) मुख्य इलैक्ट्रिकल अभियन्ता, बिजली विभाग गोवा सरकार।

(9) कलैक्टर, संघ शासित क्षेत्र दमन व दीव।

(10) कलैक्टर दादर एवं नागर हवेली प्रशासन।

(11) कार्यपालक निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र), राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम।

(12) कार्यपालक निदेशक (प्रचालन), न्यूक्लीय विद्युत निगम, परमाणु ऊर्जा विभाग अथवा मुख्य अधीक्षक, तारापुर परमाणु ऊर्जा केन्द्र एक विकल्प के रूप में सामिल।

(13) कार्यपालक निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि०।

(14) प्रतिनिधि, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण।

(15) सदस्य-सचिव, पश्चिमी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड।

उपरोक्त क्रम संख्या (एक) से (तीन) तक के सदस्य बारी-बारी से एक-एक वर्ष की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा एवं महाराष्ट्र की राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों, दमन एवं दीव और दादरा एवं नागर हवेली संघ शासित क्षेत्र, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, न्यूक्लीय विद्युत निगम, राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम, परमाणु ऊर्जा विभाग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र, पश्चिमी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड, भारत सरकार के सभी मंत्रालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया जाए।

ए० एच० जंग,
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 8th November 1991

RESOLUTION

No. 24-2/89-CA.II.—The Government of India has decided to reconstitute the Indian Cotton Development Council, constituted *vide* Resolution No. 24-2/89-CA.II, dated the 23rd January, 1991. The reconstituted Council will be composed as follows :—

I CHAIRMAN

A Non-Official to be nominated by the Government of India.

II. VICE CHAIRMAN

Agriculture Commissioner, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, New Delhi.

III. MEMBERS

A MEMBERS OF PARLIAMENT

Three Members of Parliament
(*Two from Lok Sabha and one from Rajya Sabha*) to be nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs.

B. REPRESENTATIVES OF STATE GOVERNMENTS .

One representative from each of the following State Governments in the Department of Agriculture to be nominated by the respective State Governments ,—

1. Andhra Pradesh
2. Gujarat
3. Haryana
4. Karnataka
5. Madhya Pradesh
6. Maharashtra
7. Punjab
8. Rajasthan
9. Tamil Nadu

C. REPRESENTATIVES OF CENTRAL GOVERNMENT :

(a) One representative of the Planning Commission, New Delhi.

(b) Joint Secretary (Extension), Deptt. of Agri & Cooperation or his nominee.

(c) Textile Commissioner, Ministry of Textiles.

(d) Director General, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi or his nominee.

(e) Joint Commissioner, dealing with Cotton in the Department of Agriculture & Cooperation.

(f) A representative of the Ministry of Civil Supplies.

D. REPRESENTATIVE OF GROWERS :

Nine Grower's representatives to be nominated by the respective State Governments from the major cotton growing States as follows , —

1. Andhra Pradesh—One
2. Gujarat—One
3. Haryana—One
4. Karnataka—One
5. Madhya Pradesh—One
6. Maharashtra—One
7. Punjab—One
8. Rajasthan—One
9. Tamil Nadu—One

E REPRESENTATIVES OF TRADE

Three representatives of the East India Cotton Association Limited, Bombay.

F REPRESENTATIVES OF INDUSTRY :

Three representatives of the Indian Cotton Mills Federation.

G. SUCH ADDITIONAL PERSONS AS MAY FROM TIME TO TIME BE NOMINATED BY THE GOVERNMENT OF INDIA :

IV. MEMBER SECRETARY

The Director,
Directorate of Cotton Development,
14, Ramabhai Kamani Marg,
Ballard Estates, BOMBAY.

V. OBSERVERS :

(Who would not be members of the Council but would be invariably invited to assist the Council in its deliberations) :

1. Chairman, State Trading Corporation or his representative
2. Agricultural Marketing Adviser, Department of Rural Development or his representative
3. Financial Adviser, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation.
4. Economic & Statistical Adviser Ministry of Agriculture, Deptt of Agri. & Cooperation or his nominee.
5. Plant Protection Adviser to the Government of India, Deptt. of Agri & Cooperation or his nominee.
6. Chairman, Cotton Corporation of India or his nominee.
7. A representative of the National Seeds Corporation
8. Managing Director, National Cooperative Development Corporation, New Delhi.

2. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

(i) To consider development programmes in the Central and State Sectors in respect of cotton, review progress thereof from time to time, and recommend measures for increasing the production of cotton;

(ii) To consider problems relating to the production and marketing of cotton and remunerative prices to cotton growers and advise Government in these matters;

(iii) To consider demands for different varieties of cotton in the domestic as well as export markets and advise Government about necessary arrangements for meeting the said demands through suitable development programmes;

(iv) To consider the special needs of small and marginal farmers in respect of cotton production and suggest suitable measures for meeting the same;

(v) To facilitate coordination between Research and Development Programmes relating to cotton and to advise about the needs for improvement in the quality and productivity of cotton; and

(vi) To advise Government on such other connected matters as may be considered necessary from time to time.

3 The Council will have the powers to set up Standing Committees, Technical Committees and Ad-hoc Committees to look into specific issues and to coopt members

such as representatives of Agricultural Universities and other special interests as and when necessary, for specific purposes.

4. The Council will meet periodically in areas in which cotton is grown and at important centres of trade and industry and will make recommendations to the Government of India.

5. The Council will continue to function until it is abolished by a Resolution of the Government. The term of the Chairman and other non-official members of the Council would be three years from the date they are nominated on the Council unless this period is curtailed or extended by a specific order of the Government of India.

6. Those members of the Council who are nominated from among Members of the Parliament will cease to be the members of the Council as soon as they cease to be Members of Parliament.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SANTHA SHEELA NAIR, Jt. Secy.

MINISTRY OF POWER & NON CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

(DEPARTMENT OF POWER)

New Delhi, the 4th October 1991

RESOLUTION

No. 6/8/90-Trans.—In the Deptt. of Power Resolution No. 6-4-82-Trans. dated 17th June, 1982, as amended from time to time, the Northern Regional Electricity Board shall be reconstituted as follows :

(i) The Commissioner for Power Development Deptt., and Ex. Officio Secretary to the Government of J&K.

(ii) The Chairman, Punjab State Electricity Board.

(iii) The Chairman, Rajasthan State Electricity Board

(iv) The Chairman, Uttar Pradesh State Electricity Board.

(v) The Chairman, Haryana State Electricity Board.

(vi) The Chairman, Himachal Pradesh State Electricity Board.

(vii) The Chairman, Bhakra Management Board.

(viii) The General Manager (E), Delhi Electric Supply Undertaking.

(ix) The Chief Engineer and Incharge of Electricity Works, Union Territory Administration of Chandigarh.

(x) The Executive Director (Northern Region), National Power Transmission Corporation.

(xi) The Executive Director (Northern Region), National Thermal Power Corporation Ltd.

(xii) The Director (Technical), National Hydro-electric Power Corporation Ltd.

(xiii) The Ex. Dir. (Operations), Nuclear Power Corporation, Deptt. of Atomic Energy, or Chief Supdt., Rajasthan Atomic Power Station, as an alternate nominee.

(xiv) A representative of CEA.

(xv) The Member-Secretary, NREB.

The Members from (i) to (vii) above of para 2 shall be the Chairman of the Northern Regional Electricity Board for a period of one year each by rotation.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the State Governments and State Electricity Boards of Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Haryana and Himachal Pradesh, Bhakra Management Board, Delhi Electric Supply Undertaking, the Union Territory Administration of Chandigarh, National Power Transmission Corporation, National Thermal Power Corporation, National Hydro-electric Power Corporation, Nuclear Power Corporation, Rajasthan Atomic Power Station, the Central Electricity Authority, the Northern Regional Electricity Board, all Ministries of the Govt. of India, the Prime Minister's Office, the Secretary to the President, the Planning Commission and the Comptroller & Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. 6/8/90-Trans.—In the Deptt., of Power Resolution No. 6/8/82-Trans., dated 16-8-82 as amended from time to time, the Southern Regional Electricity Board shall be reconstituted as follows :—

(i) The Chairman, Andhra Pradesh State Electricity Board.

(ii) The Chairman, Kerala State Electricity Board.

(iii) The Chairman, Tamil Nadu Electricity Board,

(iv) The Chairman, Karnataka Electricity Board.

(v) The Chief Secretary, Government of Pondicherry.

(vi) The Executive Director (Southern Region) National Power Transmission Corporation.

(vii) The Executive Director (Operations), Nuclear Power Corporation Ltd., Deptt. of Atomic Energy or Chief Supdt., Madras Atomic Power Station, as an alternative nominee.

(viii) The Managing Director, Neyveli Lignite Corporation.

(ix) The Executive Director (Southern Region), NTPC Ltd.

(x) The Managing Director, Mysore Power Corporation.

(xi) A representative from the Central Electricity Authority.

(xii) The Member Secretary, SREB.

The Members at (i) to (iv) above shall be the Chairman of the Regional Electricity Board, by rotation for one year each.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the Governments and State Electricity Boards of Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu and Karnataka, Union Territory of Pondicherry, the Deptt. of Atomic Energy, the Central Electricity Authority, the Southern Regional Electricity Board, The National Power Transmission Corporation, the National Thermal Power Corporation, the Nuclear Power Corporation, the Madras Atomic Power Station, the Neyveli Lignite Corporation, the Mysore Power Corporation, all the Ministries of the Government of India, the Prime Minister's Office the Secretary to the President, the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

RESOLUTION

No 6/8/90-Trans —In the Department of Power Resolution No. 6/4/82-Trans, dated 2nd September, 1982 as amended from time to time, the North Eastern Regional Electricity Board shall be reconstituted as follows —

(i) The Minister Incharge of Power, Assam or his representative

(ii) The Minister Incharge of Power, Manipur or his representative.

(iii) The Minister Incharge of Power, Arunachal Pradesh or his representative

(iv) The Minister Incharge of Power Tripura or his representative.

(v) The Minister Incharge of Electricity, Meghalaya or his representative

(vi) The Minister Incharge of Power, Mizoram or his representative.

(vii) Chief Secretary to the Government of Nagaland or his representative.

(viii) Chairman, Assam State Electricity Board.

(ix) Chairman, Meghalaya State Electricity Board

(x) The Executive Director (North Eastern Region), National Power Transmission Corporation.

(xi) CMD, North Eastern Electric Power Corpn Ltd

(xii) Director (Tech) National Hydro-electric Power Corpn.

(xiii) A representative of the Central Electricity Authority.

(xiv) Secretary, North Eastern Council to be the Ex-Officio Member of the North Eastern Regional Electricity Board.

The Ministers who are Members of the Board will be the Chairman of the Board by rotation, in an alphabetical order of the names of the States they represent, for one year each.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the State Governments of Assam, Manipur, Arunachal Pradesh, Tripura, Meghalaya, Nagaland and Mizoram, the State Electricity Boards of Assam and Meghalaya, the NEEPCO, the National Hydro-electrical Power Corpn, the National Power Transmission Corporation, the Central Electricity Authority, the North-Eastern Regional Electricity Board, all Ministries of Government of India, the Prime Minister's Office, the Secretary to the President, the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. 6/8/90-Trans —In the Deptt of Power Resolution No 6/4/82-Trans, dated 2nd Sept, 1982, as amended from time to time, the Eastern Regional Electricity Board shall be reconstituted as follows —

(i) The Chairman Bihar State Electricity Board.

(ii) The Chairman, Damodar Valley Corporation

(iii) The Chairman, Orissa State Electricity Board

(iv) The Chairman, West Bengal State Electricity Board

(v) A representative, if any, that may be nominated by (vi) & (vii) Each of the Governments of West Bengal, Bihar and Orissa from time to time.

(viii) The Managing Director, Durgapur Projects Limited.

(ix) The Addl. Chief Engineer, Deptt of Power Govt. of Sikkim

(x) The Executive Director (Eastern Region) National Thermal Power Corporation Limited

(xi) The Director (Technical), National Hydroelectric Power Corporation Limited

(xii) The Executive Director (Eastern Region), National Power Transmission Corporation.

(xiii) A representative of the Central Electricity Authority.

(xiv) The Member Secretary, Eastern Regional Elecy. Board

The Members at (i) to (iv) above shall be the Chairman of the Regional Electricity Board, by rotation for one year each.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the Governments and State Electricity Boards of Bihar, Orissa, West Bengal and State Government Sikkim, Damodar Valley Corporation, Durgapur Projects Ltd, National Thermal Power Corporation, National Hydroelectric Power Corpn, National Power Transmission Corporation, Central Electricity Authority, Eastern Regional Electricity Board, All Ministries of Government of India, the Prime Minister's Office, the Secretary to the President, the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No 6/8/90-Trans —In the Department of Power Resolution No. 6/4/82-Trans, dated 2nd September, 1982, as amended from time to time the Western Regional Electricity Board shall be reconstituted as follows :—

(i) The Chairman, Gujarat Electricity Board

(ii) The Chairman, Madhya Pradesh Electricity Board.

(iii) The Chairman, Maharashtra State Electricity Board

(iv) The Secretary to the Government of Gujarat, Industries, Mines and Power Department

(v) The Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Irrigation and Electricity Deptt

(vi) The Secretary to the Government of Maharashtra, Industries and Labour Department.

(vii) The Chief Engineer, Irrigation & Power Deptt, Government of Maharashtra

(viii) The Chief Electrical Engineer, Electricity Deptt, Government of Goa

(ix) The Collector, Union Territory of Daman & Diu

(x) The Collector, Dadra & Nagar Haveli Administration

(xi) The Executive Director (Western Region), National Power Transmission Corporation

(xii) The Executive Director (Operations), Nuclear Power Corporation, Deptt. of Atomic Energy, or Chief Supdt, Tarapur Atomic Power Station as an alternate nominee.

(xiii) The Executive Director (Western Region), National Thermal Power Corporation Ltd.

(xiv) A representative of Central Electricity Authority.

(xv) The Member Secretary, Western Regional Electricity Board.

The Members from Sl. Nos. (i) to (iii) above shall be the Chairman of the Western Regional Electricity Board for a period of one year each by rotation.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the State Governments and State Electricity Boards of Gujarat, Madhya Pradesh, Goa and Maharashtra, the Union Territory Administration of Daman & Diu and Dadra and Nagar Haveli, the National Thermal Power Corporation, the Nuclear Power Corporation, the National Power Transmission Corporation, the Deptt. of Atomic Energy, the Central Electricity Authority, Tarapur Atomic Power Station, the Western Regional Electricity Board, all Ministries of the Government of India, the Prime Minister's Office, the Secretary to the President, the Planning Commission, and the Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. H. JUNG, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1991
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, Delhi, 1991.